कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला ग्वालियर म0प्र0

क्रमांक/क्यू/स्टैनो/ए.डी.एम./320/2020 ग्वालियर दिनांकः 18/04/2020

।। संशोधित आदेश ।।
(अन्तर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता)

ग्वालियर जिले सहित सम्पूर्ण भारतवर्ष में दिनांक 3.04.2020 तक लॉक डाउन है, इस संबध भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांकः 40-3/2020/डीएम-।(ए) दिनांक 15.04.2020 द्वारा निर्देश जारी किये गये है, जिसके परिपेक्ष्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत संशोधित आदेश क्रमांकः क्यू/स्टेनो/एडीएम/2020/307 दिनांक 16/4/2020, सम संख्यक आदेश क्रमांक 311 दिनांक 16.04.2020 एवं 312 दिनांक 16.4.2020 जारी किया गया था।

2/ अतः आज दिनांक 18.04.2020 को ग्वालियर जिले की समीक्षा उपरांत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत उक्त वर्णित सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है :-

प्रतिबंध

- किसी भी व्यक्ति का घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा सभी व्यक्ति अपने-अपने घरों में रहेंगे।
- सभी वाणिज्यिक और निजी उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, संस्थाएं बंद रहेंगे।
- सभी बैंक, डीएससी सेंटर, बीमा कम्पनियां बंद रहेंगी।
- सभी किराना/ग्रोसरी की थोक/खेरीज दुकानें बंद रहेंगी तथा होम डिलीवरी भी बंद रहेगी।
- सभी प्रायवेट क्लीनिंग एवं मेडीकल दुकानें (थोक/खेरीज) पूर्णतः बंद रहेंगी, लेकिन ग्वालियर जिला स्थित शासकीय हास्पीटल के आस-पास की मेडीकल दुकानें एवं प्रधानमंत्री योजनान्तर्गत संचालित जन ओषधि केन्द्र/सरदार बल्लभ भाई पटेल दवा वितरण केन्द्र एवं नर्सिंग होम के अन्दर संचालित मेडीकल दुकानें, महाराजबाड़ा स्थित गणेश मेडीकल स्टोर, गणेश मेडीकल, शिवाजी मेडीकल, यूनानी, होम्यापैथी, आयुर्वेदिक दुकानें खुली रहेंगी।
- सभी सब्जी मंडी (थोक/खेरीज) पूर्णतः बंद रहेंगी।
- पीडीएस की दुकानें, आटा-बेसन चक्की, पूर्णतः बंद रहेंगी।
- सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे।
- कृषि कार्य एवं कृषि उपकरण से संबधित प्रतिष्ठान/दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।
- सभी गैस एजेंसियां बंद रहेंगी तथा होम डिलीवरी भी बंद रहेगी।
- सभी होटल, रेस्टारेंट एवं फूड स्टॉल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
- सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
- सभी केन्द्रीय/राज्य शासन एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय (जिन्हें प्रतिबंध से छूट नहीं है) पूर्णतः बंद रहेंगे।
- सभी शैक्षणिक संस्थाएं (विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर आदि) पूर्णतः बंद रहेंगे।
- सभी परिवहन सेवाएं हवाई, रेल, रोडवेज, स्मार्ट सिटी बस, एवं अन्य सार्वजनिक आवागमन के साधन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
- सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्य/सभाएं वर्जित होंगी।
- अंतिम संस्कार के मामले में 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।
- उक्त के अतिरिक्त ऐसी सभी क्रियाकलाप जो (कोरोना ड्यूटी से जुड़े नहीं हैं तथा इस आदेश द्वारा प्रतिबंध से मुक्त हैं, को छोड़कर) सभी बंद रहेंगे। विशेष परिस्थिति में संबंधित विशेष अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।

जिला मजिस्ट्रेट
ग्वालियर (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

शिथिलता / छूट

- रक्षा, केन्द्रीय शस्त्र पुलिस बल, कोषागार, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन और प्रसारण इकाइयां, प्रारंभिक चेतवानी एजेंसियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र आदि उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- राज्य पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जेल, प्रशासन एवं कोषागार, बिजली, पानी, स्वच्छता, नगर निकाय केवल आवश्यक सेवाओं जेसे स्वच्छता, जल आपूर्ति आदि से संबंधित कर्मियों के लिए न्यूनतम संख्या के साथ प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के हॉस्पीटल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, प्रयोगशालाएं, एम्बूलेंस आदि तथा उनमें विनिर्माण और वितरण इकाइयों सहित अस्पताल और संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान कार्यात्मक बने रहेंगे।
- सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरा–मेडीकल कर्मचारियों, अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति है।
- होटल, होमस्टे, लॉज और मौटल जो लॉक डाउन, चिकित्सा और आपातकालीन कर्मचारियों, वायु और समुद्री चालक दल के कारण फंसे पर्यटकों और व्यक्तियों को समायोजित कर रहे हैं तथा क्वारेंटाइन सुविधायों के लिए उपयोग किए गए/ स्थापित किए गए प्रतिष्ठान उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं प्रिन्ट मीडिया से संबंधित कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे लेकिन उन्हें संस्थान द्वारा जारी आईडी अपने साथ रखना होगा।

3/ उक्तादेश दिनांक 19.04.2020 की रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

4/ यह आदेश ग्वालियर जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन ग्वालियर अपने–अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें। अपर संचालक जन संपर्क जिले से प्रकाशित सभी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में निशुल्क प्रकाशन और प्रसारण कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कौशलेन्द्र विक्रम सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर मप्र

कमांक/क्यू/स्टैनो/ए.डी.एम./320/2020 ग्वालियर दिनांक– 18/04/2020

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, गृह विभाग, मंत्रालय बल्लभ भोपाल
2. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर
3. एडीजी/आईजी ग्वालियर रेंज, ग्वालियर
4. पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर
5. आयुक्त नगर निगम ग्वालियर
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर
7. समस्त अपर कलेक्टर/एडीएम
8. समस्त इन्सीडेंट कमान्डर्स
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर
10. जिला खाद्य नियंत्रक, ग्वालियर
11. सचिव कृषि उपज मंडी समिति ग्वालियर
12. अपर संचालक, जन सम्पर्क, ग्वालियर

जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर मप्र

Scanned with CamScanner